न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

17/2023

श्री शोभाग पुत्र भंवरलाल कीर, कृषि मंडी के पारा ग्राम पो0 नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 14.08.2023

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 22.03.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 211 दिनाक 05.04.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 श्रीमान तहसीलदार साहब टोंक को पेश प्रार्थना पत्र कमांक 1528 दिनांक 03.02.2023 के सबंध में ग्राम सवाई प.म. अरनियाकेदार के आराजी ख.न. 1 एक रकबा 2.00 बीधा में अस्थाई आवंटन को नियमित करने बाबत् सम्पूर्ण कर्यवाही की प्रमाणित प्रतिया।

2 श्रीमान तहसीलदार साहब टोंक को पेश प्रार्थना पत्र कमांक 1527 दिनांक 03.02.2023 के सबंध में ग्राम मण्डावर के आराजी ख.न. 78 रकबा 4.00 बीधा में अस्थाई आवंटन को नियमिति करने बाबत् सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 510 दिनांक 26.06.2023, 558 दिनांक 5.07.2023 व 692 दिनांक 24.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 8475 दिनांक 31.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 8361 दिनांक 26.07.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक